



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 27 सितम्बर, 1975

आश्विन 5, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 4040/सत्रह-वि-1-114-1975

दिनांक 27 सितम्बर, 1975

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 22 सितम्बर, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 49, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 49, 1975)

(जिसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अपेक्षित संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छठ्ठीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करे।

2--उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (26-क) के परचात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

“(27) 'तिमाही' का तात्पर्य वित्तीय वर्ष की तिमाही से है।”

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

अधिनियम संख्या
2,1899 की धारा
2 का संशोधन

धारा 6-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 6-क में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

“(1-क) जहाँ कोई लिखत उत्तर प्रदेश से भिन्न भारत के किसी अन्य भाग में रजिस्ट्री-कृत किया जाता है और ऐसा लिखत उत्तर प्रदेश में स्थित किसी सम्पत्ति से पूर्णतः अथवा अंशतः सम्बन्धित है, वहाँ ऐसे लिखत की प्रति, उत्तर प्रदेश में प्राप्त होने पर, धारा 19-क के अधीन मूल रूप से देय स्टाम्प शुल्क का अन्तर, उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्ति के प्रतिकल या मूल्य की सीमा तक और उसके अनुपात में देय होगा और मूल लिखत पर स्टाम्प शुल्क का देनदार पक्षकार, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी से नोटिस प्राप्त होने पर, अनुज्ञात समय के भीतर शुल्क के अन्तर का भुगतान करेगा।

धारा 11-क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

11-क—(1) धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी, किसी बिल या कॅश मेमो के प्रतिलेख या दूसरी प्रति पर (जिसके अन्तर्गत प्रतिपण या कार्बन कॅश मेमो पर शुल्क प्रति भी है) अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 25-क के अधीन देय का नकद भुगतान स्टाम्प शुल्क का भुगतान या तो ऐसा लिखत देने की तारीख की स्टाम्प द्वारा या प्रत्येक तिमाही में एक बार नकद द्वारा, ऐसे समस्त लिखत के लिए जो पिछली तिमाही में दिये गये हों, ऐसे शीर्षक के अधीन जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, खजाने या उप-खजाने में किया जा सकेगा।

(2) नकद शुल्क जमा करने के लिए तैयार किये गये खजाना चालान के साथ ऐसा द्विवरण-पत्र दिया जायगा और सत्यापन के प्रयोजन के लिए उसे ऐसी अवधि के लिए परिरक्षित किया जायगा और उसका उचित लेखा ऐसे प्रारूप में रखा जायगा जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।”

धारा 33 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 33 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

“(3) जहाँ संदत्त स्टाम्प शुल्क में कोई कमी किसी लिखत की प्रति से सूचना में आये, वहाँ कलेक्टर, स्वविवेक से या किसी न्यायालय या मुख्य स्टाम्प निरीक्षक, उत्तर प्रदेश या राजस्व परिषद् के स्टाम्प विभाग के किसी अधिकारी के निर्देश पर, मूल लिखत को, उस पर संदत्त शुल्क की पर्याप्तता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकता है और कलेक्टर के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया गया लिखत उसके कृत्यों के निर्वहन में उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया या आया समझा जायेगा।

(4) यदि लिखत कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह स्टाम्प शुल्क की कमी को, यदि कोई हो, लिखत की प्रति पर धारा 40 के अधीन शास्ति सहित भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु यह कि लिखत के निष्पादन की तारीख से चार वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।”

धारा 47-क का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 47-क में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द “इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित बाजार मूल्य से कम हो” के स्थान पर शब्द “इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के अनुसार अवधारित न्यूनतम बाजार मूल्य से भी कम हो” रख दिये जाय ;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द “या मुख्य स्टाम्प निरीक्षक, उत्तर प्रदेश के अभिदेश पर” के स्थान पर शब्द “या किसी न्यायालय या मुख्य स्टाम्प निरीक्षक, उत्तर प्रदेश या राजस्व परिषद् के स्टाम्प विभाग के किसी अधिकारी के निर्देश पर” रख दिये जाय ।

धारा 48 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 48 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

“48—इस अधिनियम के अधीन संदान के लिए अपेक्षित सभी शुल्क, शास्ति शुल्क एवं शास्ति की वसूली और अन्य धनराशि की कलेक्टर के द्वारा उस व्यक्ति को, जिससे वह प्राप्य हो, जंगम सम्पत्ति को कुर्की और विक्रय द्वारा, या भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य आदेशिका द्वारा वसूल किया जा सकेगा।”

8--मूल अधिनियम की धारा 64 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायं, अर्थात्:--

"64-क--कोई व्यक्ति जो किसी बिल या केश मेमो के प्रतिलेख या दूसरी प्रति पर (जिसके अन्तर्गत प्रतिपण या कार्बन प्रति भी है), उसके जारी होने की तारीख को अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 25-क के अनुसार स्टाम्प लगाने से या तो इन्कार करता है, या उपेक्षा करता है या धारा 11-क के अनुसार शुल्क का नकद भुगतान करने में असफल रहता है, या जहाँ उसका नकद भुगतान किया जाय, वहाँ धारा 11-क की उपधारा (2) के अनुसार उसका उचित लेखा रखने में असफल रहता है, प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से दण्डनीय होगा जो 500 रु० तक हो सकेगा।

नई धारा 64-क तथा 64-ख का बढ़ाया जाना

64-ख--(1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन शुल्क का भुगतान करने के लिए देनदार व्यक्ति को किसी लिखत के सम्बन्ध में (जो संविधान की सप्तवी अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 91 में विनिर्दिष्ट लिखत न हो) धारा 62 या 64 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष-सिद्ध किया जाय, वहाँ मजिस्ट्रेट किसी ऐसे दण्ड के अतिरिक्त, जो ऐसे अपराध के लिए अधिरोपित किया जा सके, ऐसे व्यक्ति से उस लिखत के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन देय शुल्क और शास्ति की, यदि कोई हो, धनराशि की वसूली का निर्देश देगा, और इस धनराशि को मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित किसी जुर्माने के रूप में भी वसूल किया जा सकेगा।

(2) ऐसी वसूली पर कलेक्टर लिखत पर पृष्ठांकित करके यह प्रमाणित करेगा कि उसके सम्बन्ध में, यथास्थिति, उचित शुल्क या शास्ति उद्गृहीत की गयी है।"

No. 4040 (2) /XVII-V-1-114-1975

Dated Lucknow, September 27, 1975

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the *Bhartiya Stamps (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1975* (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 49 of 1975), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on September 22, 1975 :

THE INDIAN STAMP (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1975

(U. P. ACT NO. 49 OF 1975)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the *Indian Stamp Act, 1899*, in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :

1. (1) This Act may be called the *Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1975*.

Short title, extent and commencement.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the *Official Gazette* appoint in this behalf.

2. In section 2 of the *Indian Stamp Act, 1899*, as amended in its application to Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the principal Act), after clause (26-A), the following clause shall be inserted, namely:--

Amendment of section 2 of the Act II of 1899.

Amendment of section 6-A. of 3. In section 6-A of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"Where any instrument is registered in any part of India other than Uttar Pradesh and instrument relates, wholly or partly to any property situate in Uttar Pradesh, the copy of such instrument shall, when received in Uttar Pradesh, be liable to be charged with the difference of stamp duty as or original under section 19-A to the extent of and in proportion to the consideration or value of property situated in Uttar Pradesh, and the party liable to pay stamp duty on the original instrument shall upon receipt of notice from registering officer pay the difference in the duty within the time allowed."

Insertion of section 11-A. of 4. After section 11 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"11-A. (1) Notwithstanding anything contained in section 11, the stamp duty due under Article 25-A of Schedule I-B on a counterpart or duplicate (including counterfoil or carbon copy) of a bill or cash memo may be paid either by means of stamps on the date of issue of such instruments, or in cash once in every quarter, for all such instruments issued in the previous quarter, into the treasury or sub-treasury under such head as the State Government may by general or special order direct.

Payment of duty in cash on such memoes.

(2) The treasury challan prepared for deposit of duty in cash shall be accompanied by such statement and shall be preserved for the purpose of verification for such period and proper account thereof shall be maintained in such form as the State Government may by general or special order direct."

Amendment of section 33. of 5. In section 33 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(3) Where deficiency in stamp duty paid is noticed from the copy of any instrument, the Collector may *suo motu* or on a reference from any court or from the Chief Inspector of Stamps, Uttar Pradesh or any Officer of the Stamp Department, Board of Revenue, call for the original instrument for the purpose of satisfying himself as to the adequacy of the duty paid thereon, and the instrument so produced before the Collector shall be deemed to have been produced or come in the performance of his functions.

(4) In case the instrument is not produced within the period specified by the Collector, he may require payment of deficit stamp duty, if any, together with penalty under section 40 on the copy of the instrument:

Provided that no action under sub-section (3) or sub-section (4) shall be taken after a period of four years from the date of execution of the instrument."

Amendment of section 47-A. of 6. In section 47-A of the principal Act—

(a) in sub-section (1) for the words, "is less than that determined in accordance with any rules made under this Act", the words, "is less than even the minimum value determined in accordance with any rules made under this Act" shall be substituted,

(b) in sub-section (4), for the words, "or on a reference from Chief Inspector of Stamps, Uttar Pradesh" the words, "or on a reference from any court or from the Chief Inspector of Stamps, Uttar Pradesh or any officer of the Stamp Department of the Board of Revenue." shall be substituted.

Amendment of section 48. of 7. For section 48 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"48. All duties, penalties and other sums required to be paid under Recovery of this Act may be recovered by the Collector by distress duties and sale of the movable property of the person from penalties. whom the same are due or by any other process for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue."

8. After section 64 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

Insertion
of
new sections 64-A
and 64-B.

“64-A. Any person who either refuses or neglects to stamp a counter-part or duplicate (including counterfoil or carbon copy) of any bill or cash memo on the date of its issue in accordance with Article 25-A of Schedule I-B or fails to pay the duty in cash in accordance with section 11-A or where the same is paid in cash, fails to maintain a proper account thereof in accordance with sub-section (2) of section 11-A, shall for every such offence be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

64-B. (1) Where any person liable to pay duty under this Act is convicted of an offence under section 62 or 64, in respect of any instrument (not being an instrument specified in Entry 91 of List I in the Seventh Schedule to the Constitution), the Magistrate shall in addition to any punishment which may be imposed for such offence, direct recovery of the amount of duty and penalty, if any, due under this Act from such person in respect of that instrument, and such amount shall also be recoverable as if it were a fine imposed by the Magistrate.

(2) Upon such recovery the Collector shall thereupon certify by endorsement on the instrument that proper duty or penalty, as the case may be, has been levied in respect thereof.”

श्रीमान् से,
कलाश नाथ गोयल,
सचिव ।